

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

79

क्रमांक..... 1974-75

यह प्रमाणित किया जाता है कि सन १९७४ ई. में राजस्थान सरकार द्वारा
जिला जयपुर में
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक २०/०५/७५ माह ५ रात सन् एक हजार नौ सौ सत्तर को
जयपुर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान,
जयपुर।

रा.क.सं.ज.-285-2000-73.